संख्या:268/2016/2587जेएल/22-3-16-100(23)/2016

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2016***

विषय: जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सीताराम पुत्र श्री बुधराम, निवासी जनपद-कुल्लू(हिमाचंल प्रदेश) को जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13186/सामा-1(3)/सिद्धार्थनगर/2010, दिनांक 02-05-2016 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सीताराम पुत्र श्री बुधराम, निवासी जनपद-कुल्लू(हिमाचंल प्रदेश) को जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर स्थानान्तरित किया जाता है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या:268/2016/2587जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर।
2. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
3. अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर/गौतमबुद्धनगर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in